

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),  
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 12/2016(आरसीएमएस संख्या : 2016/00124)  
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. कमला देवी पत्नी श्री लल्लूलाल, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
2. शंकरलाल पुत्र श्री लल्लूलाल, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
3. गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री लल्लूलाल, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
4. भंवरलाल पुत्र श्री लल्लूलाल, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
5. प्रमोद कुमार पुत्र श्री लल्लूलाल, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
6. रुकमणी देवी पुत्री श्री लल्लूलाल, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 )

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 25.10.2019

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम भम्भौरिया की गत आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 380 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 383 रकबा 1 बीघा, आराजी खसरा नं0 384/773 रकबा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.15 हे0, 1167 रकबा 0.88 हे0, 1168 रकबा 0.20 हे0, 1169 रकबा 0.13 हे0 व खसरा नम्बर 1181/1370 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 5 रकबा 1.41 हे0 माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी आमेर पुजारी श्री गंगानाथ पुत्र श्री गंगानाथ, जाति-बंगाली ब्राह्मण, निवासी-आमेर के नाम खतौनी बन्दोबस्त नम्बरे 2015-34 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्री



श्योनाथ, जाति-बंगाली ब्राह्मण, निवासी-आमेर तथा कॉलम संख्या 5 में घीस्या पुत्र श्री मोहना कौम ब्राह्मण हरियाणा साकिन देह दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैद्य आदेश के माफी मन्दिर के बजाय वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-34 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्री श्योनाथ, जाति-बंगाली ब्राह्मण, निवासी-आमेर तथा कॉलम संख्या 5 में घीस्या पुत्र श्री मोहना कौम ब्राह्मण हरियाणा साकिन देह के नाम थी जो बिना किसी वैद्य आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीगण के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई है जो अनुचित है और बिना वैद्य और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त है अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी के नाम दर्ज की जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त/जमाबन्दी/भू-प्रबन्ध(सैटलमेंट)विभाग के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित है। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैद्य अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। नाबालिग माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी की विवादग्रस्त आराजी को किसी व्यक्ति द्वारा काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति

का कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरीत माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी की भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2028-31 में निजी खातेदारी तत्पश्चात् वर्तमान में जमाबन्दी 2062-65 में अप्रार्थीगण के नाम शून्य



आधारित व बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य है और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण व जमाबन्दियों में किये गये इन्द्राज निरस्त करने तथा वापिस माफी मन्दिर श्री बटक भैरो जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.10.2019 को सुनाया गया।



*[Handwritten Signature]*  
कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर